

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-147/2025

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2025/177

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी जितेन्द्र सिंह राजावत जिसका पंजीकृत कार्यालय - 502, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 तथा शाखा कार्यालय-प्लॉट नं. 2, थर्ड फ्लोर, राम विहार सिरसी रोड, पांच्यावाला, वैशाली नगर सिटी, जयपुर-302034 में स्थित व कार्यरत है।		1. श्री रामफुल पुत्र रामनिवास, पता - वार्ड नं. 3, पट्टा नं. 66 पानी की टंकी के पास, ग्राम पंचायत बलाया, तहसील मुण्डवा जिला नागौर राजस्थान - 334803 2. श्रीमती गुडडी पत्नी रामफुल पता - वार्ड नं. 3, पट्टा नं. 66 पानी की टंकी के पास, ग्राम पंचायत बलाया, तहसील मुण्डवा जिला नागौर राजस्थान - 334803 3. रामनिवास पुत्र बक्सा राम पता - वार्ड नं. 3, पट्टा नं. 66 पानी की टंकी के पास, ग्राम पंचायत बलाया, तहसील मुण्डवा जिला नागौर राजस्थान - 334803

:: आदेश ::

दिनांक:- 31/06/2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रुपये 4,17,307/- (अक्षरे चार लाख सत्रह हजार तीन सौ सात रुपये मात्र) का ऋण दिनांक 04.03.2023 को उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में अचल सम्पत्ति - रामफुल पुत्र रामनिवास मालिक सम्पत्ति वार्ड नम्बर 3 ग्राम बलाया में पानी की टंकी के पास पट्टा नं. 66 ग्राम बलाया तहसील मुण्डवा जिला नागौर राजस्थान-334803 में स्थित जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप 658 वर्गफुट या 73.11 वर्गगज है, जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है पूर्व में- अन्य का मकान है, पश्चिम में- सीताराम का मकान है, उत्तर में- सड़क है एवं दक्षिण में- सड़क व स्वयं की जमीन है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 29.05.2025 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ ऋणी के ऋण खाते में रुपये 4,74,397/- (अक्षरे चार लाख चौहत्तर हजार तीन सौ सतानवे रुपये मात्र) दिनांक 04.06.2025 तक एवं आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 12.06.2025 को



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एवं उक्त नोटिस दो अखबारों में प्रकाशित किया गया, परन्तु इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 4,74,397/- (अक्षरे चार लाख चौहत्तर हजार तीन सौ सतानवे रुपये मात्र) दिनांक 04.06.2025 तक एवं आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत भेजने के पश्चात् वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(3A) के अंतर्गत ऋणी/सहऋणी द्वारा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेंट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये हमने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार हैं :- अचल सम्पत्ति - रामफुल पुत्र रामनिवास मालिक सम्पत्ति वार्ड नम्बर 3 ग्राम बलाया में पानी की टंकी के पास पट्टा नं. 66 ग्राम बलाया तहसील मुण्डवा जिला नागौर राजस्थान-334803 में स्थित जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप 658 वर्गफुट या 73.11 वर्गगज है, जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है पूर्व में- अन्य का मकान है, पश्चिम में- सीताराम का मकान है, उत्तर में- सड़क है एवं दक्षिण में- सड़क व स्वयं की जमीन है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेंट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये रुपये 4,17,307/- (अक्षरे चार लाख सत्रह हजार तीन सौ सात रुपये मात्र) का ऋण दिनांक 04.03.2023 का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में अचल सम्पत्ति – रामफुल पुत्र रामनिवास मालिक सम्पत्ति वार्ड नम्बर 3 ग्राम बलाया में पानी की टंकी के पास पट्टा नं. 66 ग्राम बलाया तहसील मुण्डवा जिला नागौर राजस्थान-334803 में स्थित जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप 658 वर्गफुट या 73.11 वर्गगज है, जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है पूर्व में- अन्य का मकान है, पश्चिम में- सीताराम का मकान है, उत्तर में- सड़क है एवं दक्षिण में- सड़क व स्वयं की जमीन है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(अरुण कुमार पुरोहित)  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
नागौर